संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A3-72(2)/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

1 JAN 2020

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक ~~दिसम्बर,~~ 2019

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्याः 312 मान्यता/के0यू0/2019 दिनांक 31 मई, 2019 एवं पत्र संख्या केयू/मान्यता/2019/1005 दिनांक 28 नवम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एम0आई0ई0टी0 इंजीनियरिंग कॉलेज, लामाचौड़, हल्द्वानी को बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में सत्र 2018–19 से सत्र 2020–21 की अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2018–19 से पूर्व के सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कुमाऊँ विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के मानकों के पूर्ण होने की दशा में इस सचिवालय के पत्र संख्या 296 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर सम्बद्धता विषयक आदेश यथाशीघ्र जारी करेगी व आदेश की प्रति विश्वविद्यालय द्वारा मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध कराई जायेगी।

3– यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष दर वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के पूर्व निर्णय के क्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति द्वारा उक्त संस्थान को बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में 40 सीटों के साथ सत्र 2019–20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान कर दी गई है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या/संस्तुति के अनुसार सभी मानकों को पूर्ण कराने पर कार्रवाई कराते हुए विश्वविद्यालय कार्यपरिषद यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ इस सचिवालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समयसारिणी प्राप्त होनें पर विचार किया जायेगा।

5– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3571 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-72(2)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।